



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 438

8 aashadh, 1938 (S)

Ranchi, Thursday, 29th June, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th June, 2017

NOTIFICATION No. 6 / 2017 State Tax (Rate)

S.O-36- Dated- 29th June, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 55 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty per cent. of the applicable State Tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K.K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2017

अधिसूचना संख्या 6/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ०-36- दिनांक- 29 जून, 2017-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो इसके द्वारा ऐसे माल की सीएसडी कैंटीन की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए ऐसे माल की पश्चातवर्ती पूर्ति के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्ति पर संदत्त लागू झारखण्ड माल और सेवा कर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय के दावे को करने का हकदार होगा, विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
